न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

वाद संख्या :– 02/51/2013

<u>लालाराम बनाम सरकार</u>
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 08.03.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 827/7.72 है. में से 0.75 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 29.04.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित न्यायालय आकर जवाब पेश नहीं किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से आराजी विवादित प्रथम दृष्टया प्रार्थी की खातेदारी में नहीं है जबकि आराजी विवादित राजकीय खाते में सिवायचक किस्म गैरमुमकिन पहाड दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी की प्रथम दृष्टया खातेदारी साबित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 827/7.72 है. में से 0.75 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 08.03.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)